प्रेस विज्ञप्ति
15.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल कार्यालय ने तमिलनाडु के पूर्व आवास और शहरी विकास मंत्री, विधायक आर. वैथिलिंगम के खिलाफ मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 9/01/2025 को 100.92 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स मुथम्मल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं, जो परिवार के स्वामित्व वाली इकाई है।

ईडी ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी), चेन्नई द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आर वैथीलिंगम के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जो उस समय आवास और शहरी विकास मंत्री, तमिलनाडु थे। आरोप है कि आर वैथिलिंगम ने अपने कार्यकाल के दौरान एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए योजना अनुमति देने के बदले मेसर्स श्रीराम प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से 27.90 करोड़ रुपये की रिश्वत स्वीकार की।

इससे पहले, जांच के दौरान की गई ईडी की तलाशी में एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध कार्यप्रणाली का खुलासा हुआ था, जिसमें शेयर आवेदन राशि के रूप में रिश्वत भुगतान को छिपाने के लिए फर्जी संस्थाओं का उपयोग किया गया था। श्रीराम समूह की इकाइयों द्वारा कथित तौर पर जमीन खरीदने के लिए किए गए ये भुगतान कभी भी वास्तविक भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं किए गए थे। इसके बजाय, धन को कई शेल संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया और अंततः वैथिलिंगम के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित कंपनी मेसर्स मुथम्मल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड में रखा गया। अवैध धन का उपयोग तब त्रिची में विभिन्न अचल संपत्तियों को हासिल करने के लिए किया गया था, जिन्हें अब अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।